

नगर निकाय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याएँ (इंदौर शहर के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. सुधा जैन

शोध निर्देशिका, प्राध्यापक समाजकार्य, इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्दौर

देवेन्द्र सिंह राठौर

शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सारांश

नगर निकाय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर अध्ययन किया, क्योंकि देखने में आता है कि उनका जो कार्य होता है, बड़ा ही संवेदनशील होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो गंदगी साफ करने का कार्य करते हैं। जिससे अनेक कीटाणु होते हैं या हम कह सकते हैं कि ऐसे खतरनाक वायरस पाये जाते हैं। अगर उनके द्वारा स्वच्छता कार्य करते समय किसी सुरक्षात्मक वस्तुओं का उपयोग नहीं करने पर वे इन खतरनाक वायरस शिकार हो सकते हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता कार्य को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु सफाई कर्मचारियों की बीमा योजना के द्वारा मदद की जाए और इनका बीमा करवाया जाए। बंद सीवर को खोलने और विषैला कूड़ा उठाने के समय सांस के द्वारा जो गैसें इनके अन्दर जाती हैं और इनके जीवन को खतरा हो जाता है। कभी-कभी तो मौत भी हो जाती है तो उसके परिवार को जीवनभर समस्याओं से जूझना पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- [1]. खेत्रापाल भीमसेन (2016) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नियम पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन इन्दौर।
- [2]. मनहर बालाजी भाई झाला, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष, हिन्दुस्तान समाचार, भोपाल
- [3]. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग
- [4]. राजेन्द्र शर्मा, सफाई कर्मचारियों को मिले मूलभूत सुविधाएँ पत्रिका छिन्दवाड़ा 27 फरवरी 2018
- [5]. दैनिक भास्कर, बिजनेस भास्कर, स्वच्छता पर एक डॉलर खर्च करने पर आमदनी चार से पाँच डॉलर बढ़ती है। इन्दौर 5 अक्टूबर 2018